

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 443/2012/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ए, श्रीगंगानगर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नितिन इलेक्ट्रॉनिक्स,
श्रीगंगानगर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह -सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री वी.के.पारीक,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


निर्णय दिनांक : 03/03/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 293/आरवेट/श्रीगंगानगर/2010-11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 26.08.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी का कर निर्धारण वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 23.07.2010 को आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 में खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम की गयी। आई.टी.सी. क्लेम की गयी खरीद में से प्रत्यर्थी को विक्रेता व्यवसाई द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा इन क्रेडिट नोट की राशि पर आई.टी.सी क्लेम किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इन जारी क्रेडिट नोट की राशि पर अधिनियम की धारा 18 (1)(ए) से (जी) के प्रावधानों की सीमा से भिन्न निष्पादन पाये जाने के कारण आई.टी.सी. क्लेम देय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर दिया तथा ब्याज भी आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है। जिसमें कर रूपये 10,305/- व ब्याज रूपये 2576/- को विवादित किया गया है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये हैं वह अनुचित व अवैधानिक हैं।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री वी.के.पारीक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी की बिक्री राज्य के भीतर की गयी है तथा बिक्री पर निर्धारित कर दर अनुसार कर वसूल किये गये हैं। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि प्रत्यर्थी के द्वारा उक्त क्रेडिट नोट बिक्री बढ़ाने के कारण से इन्सेन्टिव के रूप में प्राप्त किये गये हैं। प्रत्यर्थी ने अधिनियम की धारा-18(ए) से (जी) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रेडिट नोट पर रिवर्स टैक्स गलत लगाया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि प्रत्यर्थी को विक्रेता व्यवहारी के द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये गये हैं उसमें टैक्स में किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि क्रेडिट नोट Expost Facto नियम के अन्तर्गत जारी किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे बहस करते हुये बताया कि विक्रय मूल्य की परिभाषा 2(36) के Explanation II के अनुसार Expost Facto Incentives, Rebates Etc. को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जा सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस करते हुये कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार Sec. (1) (a) से (g) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर ही रिवर्स टैक्स क्रेडिट की जा सकती है। इस प्रकार से प्रत्यर्थी को जो क्रेडिट नोट इस अवधि में प्राप्त हुए हैं वह बिक्री को बढ़ाने के ऐवज में बोनस के रूप में प्राप्त किये हैं एवं इससे अधिनियम की धारा-18(1) (a) से (g) के किसी प्रकार प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। अधिकृत प्रतिनिधि ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय रिवीजन नम्बर 208/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-जालौर बनाम मैसर्स रामदेव ट्रेडिंग कम्पनी, भिनमाल 37 टैक्स अपडेट 187 तथा माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय M/s Priye Agencies V/s C.T.O Thrissur and Others (2008) 14 Vst 293 (Ker.) निर्णय दिनांक 02.04.2008 एवं माननीय हरियाणा ट्रीयब्यूनल निर्णय मैसर्स मौगा ट्रेडिंग कम्पनी कलान वाली बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा निर्णय दिनांक 12.01.2009 एवं कर बोर्ड द्वारा पूर्व में पारित निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भरतपुर बनाम मैसर्स बीकरवार सीमेंट एजेन्सीज, भरतपुर निर्णय दिनांक 23.09.2013 व 344/2012/भरतपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भरतपुर बनाम मैसर्स नरेन्द्र कुमार गोविन्द प्रसाद, भरतपुर निर्णय दिनांक 02.09.2013 आदि न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया। अधिकृत प्रतिनिधि ने धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज को अविधिक बताते हुए अपास्त करने का निवेदन किया। उक्त तथ्यों एवं आधारों पर बहस करते हुये प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।




लगातार.....3

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उद्धरित निर्णयों का अध्ययन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में Trade Discount के तहत क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं। क्रेडिट नोट की बिक्री को बढ़ाने के ऐवज में इन्सेन्टिव के तहत प्राप्त हुए हैं। इन क्रेडिट नोट्स के आधार पर आई.टी.सी. का समायोजन भी प्रत्यर्थी के द्वारा नहीं लिया गया है। प्रत्यर्थी ने माल का विक्रय राज्य के भीतर कर नियमानुसार कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया है। अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार Case Discount or Trade Discount बिक्री के बिल जारी करते समय ही बिक्री मूल्य में कम किया जा सकता है लेकिन बिक्री करने के बाद दिये गये Case Discount or Incentive Rebate इत्यादि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जा सकता है। अतः यह क्रेडिट नोट्स बिक्री होने के बाद में जारी किया गया है। अतः इनका प्रभाव आई.टी.सी. पर नहीं पड़ता है। प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 18(1)(ए) से (जी) के प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं किया है। उक्त आरोपित रिवर्स टैक्स विधि सम्मत नहीं है। इस संबंध में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं।

7. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.2011 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


3-3-14
(अमर सिंह)
सदस्य